न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
97 / 2023 प्रा.पत्र / 2023	11.09.2023	26.09.2025

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री धर्मचन्द जैन निवासी दीनदयाल कॉलोनी गली नं. 2 निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स जैन डिपार्टमेन्टल स्टोर झिलाई बायपास रोड निवाई जिला टोंक। पिनकोड–304021 मोबाईल नं. 7014356236
2–मैसर्स जैन डिपार्टमेन्टल स्टोर झिलाई बायपास रोड निवाई जिला टोंक।
3–श्रीमति गंगा देवी पत्नि श्री हरिपाल सिंह निवासी कालू पटेल की धानी का रास्ता जमात वार्ड नं. 1 निवाई जिला टोंक राज. प्रोपरायटर मैसर्स शुभम एजेन्सीज गंगा निवास जयपुर रोड जमात निवाई जिला टोंक राज.। पिनकोड–304021
4–मैसर्स शुभम एजेन्सीज गंगा निवास जयपुर रोड जमात निवाई जिला टोंक राज.।
5–श्रीमति सीता देवी प्रोपरायटर मैसर्स अग्रवाल एण्ड सन्स एच1 621ए, रोड नं. 6 वीकेआई एरिया जयपुर राज.। पिनकोड–302013
6–मैसर्स अग्रवाल एण्ड सन्स एच1 621ए, रोड नं. 6 वीकेआई एरिया जयपुर राज.।

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री उम्मेद सिंह सोलंकी उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 26/9/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.02.2023 को समय 12:25 पी.एम. पर मैसर्स जैन डिपार्टमेन्टल स्टोर झिलाई बायपास रोड निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री धर्मचन्द जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स जैन डिपार्टमेन्टल स्टोर झिलाई बायपास रोड निवाई जिला टोंक पर खाद्य प्रदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री धर्मचन्द जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री धर्मचन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दुकान की रैक में

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

लगभग 9–10 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 500–500 एम.एल. पैक **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री धर्मचन्द जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री धर्मचन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान की रैक में रखे लगभग 9–10 मूल पैक **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 13 एवं पैकिंग की दिनांक जनवरी 23 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 500–500 एम.एल. पैक के चार मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** 500–500 एम.एल. पैक के चार मूल पैक को ज्यों का त्यों अलग–अलग खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3473 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3473 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री धर्मचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स जैन डिपार्टमेन्टल स्टोर झिलाई बायपास रोड निवाई जिला टोंक ने मोके पर बतौर वारन्टी मैसर्स शुभम एजेन्सीज गंगा निवास जयपुर रोड जमात निवाई जिला टोंक राज.का बिल प्रस्तुत किया। आवेदक द्वारा मैसर्स शुभम् एजेन्सीज से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स अग्रवाल एण्ड सन्स एच1 621ए, रोड नं. 6 वीकेआई एरिया जयपुर राज. का वारन्टी बिल प्रेषित कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/637 दिनांक 15.03.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल0एस0/424/एक्ट/2023/496 दिनांक 23.02.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(Misbranded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री उम्मेद सिंह सोलंकी उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगणके विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/9/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौकरिया)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0